भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.299

उत्तर देने की तारीखः 03.02.2021

दलित छात्रों/छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कम किया जाना

299. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2018 में नियम बदलकर दलित छात्रों/छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति घटा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की ऐसी दलित छात्रों/छात्राओं के लिए क्या योजना है जिनका करियर छात्रवृत्ति प्रदान न किए जाने से प्रभावित हो सकता है;

(घ) चालू वर्ष में, कोविड-19 वैश्विक महामारी के पश्चात् योजना के अंतर्गत कितने दलित लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई; और

(ड.) गत पांच वर्षों के लाभार्थियों की संख्या की तुलनात्मक स्थिति क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) जी, नहीं। ऐसी कोई कटौती नहीं की गई है।

(ख) और (ग): उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.): मौजूदा स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रों को राशि संवितरित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां जारी की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष के समापन के बाद विशेष वित्त वर्ष में लाभार्थियों की वास्तविक संख्या और संवितरित निधियों के बारे में सूचना प्रस्तुत करते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत वर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
2015-16	56.80
2016-17	58.62
2017-18	59.25
2018-19	60.29
2019-20*	52.86

(*) 26 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए आंकड़।

*****